...को पेश हो।

3.8.23 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील विपक्षी सं. 2 जवाब आयन्दा देना चाहते है जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। वकील प्रार्थी विपक्षी सं. 3 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है वास्ते पत्रावली मे विपक्षी सं. 2 के जवाब हेतु नियत दिनांक 8.8.23 को पेश हो।

8.8.23 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील विपक्षी सं. 2 की ओर से जवाब पेश नहीं किया। जवाब हेतु कितने अवसर दिये जा चुके है वकील विपक्षी सं. 2 का जवाब बंद किया जाता है वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

कदमा संख्या – 13/23 प्रा०पत्र

– श्री कालूराम S/o श्री पन्नालाल खटीक निवासी- बागोर तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री सांवर S/o श्री मोखर तेली निवासी- बागोर तहसील- माण्डल [वगैरा]
(पृष्ठांकित प्रा०पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:– 08.08.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 7517/485 कुल किता 01 रकबा 0.5059 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि [redacted]क्षीगण के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.01.23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 7517/485 कुल किता 01 रकबा 0.5059 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बागोर को 500/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल